न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/2590/2005/गंगानगर

1– शंकरलाल पुत्र धनाराम,
2– भागीरथ पुत्र धनाराम जाति बावरी, निवासीगण बगीचा, तहसील रायसिंहनगर, जिला श्री गंगानगर।
3– नानूराम पुत्र आशाराम जाति बावरी, निवासी 2 एपीडी, तहसील विजयनगर, जिला श्री गंगानगर।

------ प्रतिवादीगण/अपीलांट्स

बनाम

1– मनफूलराम पुत्र धनाराम जाति बावरी, निवासी बगीचा, तहसील रायसिंहनगर, जिला श्री गंगानगर।
2– राजस्थान सरकार।

------ रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री रामनिवास जाट, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थित
(1) श्री अमृतपालसिंह वानर, अभिभाषक अपीलांट्स।
(2) श्री अजीतसिंह राठौड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1

निर्णय दिनांक :–29–05–2023

यह अपील धारा 224, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर द्वारा अपील संख्या 134/2000 में पारित निर्णय दिनांक 28–02–2005 बउनवानी मनफूलराम बनाम शंकरलाल के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने विद्वान परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 90, 92–ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद में अंकित वादग्रस्त आराजी के बाबत् प्रस्तुत कर वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावें एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि

वे वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना करें। वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण ने विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी उनके पिता के नाम से खातेदारी वसीयत के आधार पर वादी अपने अकेले के नाम से भूमि दर्ज नहीं करवा सकता है एवं वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त नहीं है। अतः दावा खारिज किया जावें। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर दिनांक 26-09-2000 को वादी का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी मनफूलराम की ओर से विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उपस्थित योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28-02-2005 को अपीलांट की अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर का निर्णय व डिक्री दिनांक 26-09-2000 निरस्त कर दिया, जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 28-02-2005 से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगणी की ओर से यह द्वितीय अपील इस नयायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- अपील पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4- अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। विद्वान परीक्षण न्यायालय में वाद केवल धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का था लेकिन विद्वान अपीलीय न्यायालय ने धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की रिलीफ भी दे दी जो गलत है। धन्ना के दो पत्नियां थी। पहली पत्नि से शंकर व भागीरथ व दूसरी पत्नि से मनफूल पैदा हुआ। मनफूल ने अपने पक्ष में दिनांक 07-11-1989 को रजिस्टर्ड वसीयत कराई। दावा ही मैन्टेनेबल नहीं था। बिना डिक्लेरेशन के धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा नहीं ला सकते हैं। धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद केवल खातेदार ही ला सकता है। विद्वान अपीलीय

न्यायालय का निर्णय गलत है तथा क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर निर्णय पारित किया है। वादी/रेस्पो0 सं0 1 को वाद खारिज किये जाने के बाद आदेश 6 नियम 17 व 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था क्योंकि रेस्पो0 सं0 1 ने उक्त प्रार्थना पत्र का प्रार्थना पत्र दिनांक 10–10–2000 को प्रस्तुत किया। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा सही प्रकार से रेस्पो0 सं0 1 का वाद खारिज किया है जिसे निरस्त कर विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। जब वाद निर्णित कर दिया तो वाद में संशोधन करने को शेष नहीं रहा। वादी द्वारा वाद में जो दादरसी चाही गयी वह जिस प्रकार का वाद वादी लेकर आया वह वाद साबित नहीं कर पाया जो खारिज कर दिया गया। वादी घोषणा खातेदारी का दूसरा वाद प्रस्तुत कर ही उक्त दादरसी वाद साबित होने पर प्राप्त करने का अधिकारी है। आदेश 6 नियम 17 के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने व उक्त प्रार्थना पत्र वाद निर्णित किये जाने के बाद प्रस्तुत किये जाने से वह किसी प्रकार की दादरसी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। वादी/रेस्पो0 सं0 1 प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं है। इस कारण से प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्ध न तो स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री हासिल कर सकता है न उसके घोषणा खातेदारी का वाद प्रस्तुत किया इस कारण विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय वाद डिक्री करने का क्षेत्राधिकार नहीं रखते। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य का सही विवेचन व विश्लेषण नहीं किया। विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय आदेश 41 नियम 31 व्यवहार प्रक्रिया संहिता व आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 के प्रावधानों के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के निर्णय व डिक्री दिनांक 28–02–2005 को निरस्त किया जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के निर्णय व डिक्री दिनांक 26–09–2000 की पुष्टि करने का निवेदन किया।

5– प्रत्युत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजी धन्ना की थी। शंकर व भागीरथ को पुश्तैनी आराजी में हिस्सा दे दिया। विवादित भूमि धन्ना की स्वअर्जित थी जो उसने मनफूल को जरिये रजिस्टर्ड

वसीयत दिनांक 07–11–1989 को दे दी। वसीयत को सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जो आज भी बहाल है। नामान्तरकरण सं0 27 दिनांक 27–03–1997 विरासत का सभी वारिसान के नाम है जिसको निरस्त कराने के लिए विद्वान परीक्षण न्यायालय में अपील सं0 3/2000 पेश की जो दिनांक 31–08–2005 को स्वीकार कर तहसीलदार को भिजवाई गई। प्रकरण में सभी पक्षकार तहसीलदार के समक्ष उपस्थित हुए जिसमें दिनांक 14–11–2005 को राजीनामा पेश किया कि 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि मनफूल को वसीयत की जो उसके कब्जा काश्त में है जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावें तो कोई उज्र नहीं है। मण्डल में अपील वर्ष 2005 में प्रस्तुत की तथा तहसीलदार ने दिनांक 25–01–2006 को आदेश दे दिया। दिनांक 08–02–2006 को तहसीलदार ने अमल दरामद रोक दिया क्योंकि मण्डल का स्थगन था। जब स्वयं स्वीकृति पेश कर दी तो वर्तमान अपील सारहीन हो गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय सही होने से यथावत् रखने का अनुरोध किया गया। उन्होंने अपने समर्थन में 1960 ए0आई0आर0 पेज 100 पेश की।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

7– विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26–09–2000 में अंकित किया कि वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार नहीं होने के कारण वादी का वाद खारिज किया जाता है।

8– विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28–02–2005 से अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 26–09–2000 को निरस्त किया है।

9– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर में वर्तमान अप्रार्थी सं0 1/वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 188, 90 व 92 ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया गया कि वादी के पक्ष में वह प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न प्रकार दावा डिक्री फरमाया जावें –

(क) गांव बगीचा के पत्थर नं0 233/333 के मु0सं0 2 के किला नं0 1 ता 25 के कुल 22 बीघा 10 बिस्वा बारानी भूमि में वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर का स्थाई स्थगन आदेश पारित किया जावें कि वे उक्त कृषि भूमि में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी वादी के कब्जा काश्त में मदाखलत बेजा करने से बाज व ममनु रहे।

10– दावे में दिनांक 26–09–2000 को विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा तनकीवाद निर्णय पारित किया कि –

तनकी नं0 1 – आया की वादी गांव बगीचा के मु0 नं0 2 के किला नं0 1 ता 25 के 22 बीघा 10 बिस्वा खातेदारी बारानी भूमि जो कि वादी के पिता से रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 07–11–1989 के द्वारा प्राप्त हुई व वादी के कब्जा काश्त में है के लिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

11– वादग्रस्त आराजी वादी और प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पिता के नाम से दर्ज है। वादी/प्रतिवादी सं0 1 व 2 को अपने भाई स्वीकार करता है। वादग्रस्त आराजी अभी भी वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के पिता के नाम से दर्ज है। अतः जब तक यह आराजी वादी के नाम से दर्ज नहीं हो जाती है तब तक वे इस वादग्रस्त आराजी के संबंध में कोई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादी द्वारा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत किया है जिसका अनुतोष वादी को दिया जाना उचित नहीं है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

12– तनकी सं0 2 ता 7 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। चूंकि तनकी सं0 1 विरूद्ध वादी निर्णित की जा चुकी है जिसके अनुसार वे वादग्रस्त आराजी पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः तनकी सं0 2 ता 7 के विवेचन की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है।

13– विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा वादी द्वारा वाद में खातेदारी घोषणा की रिलीफ नहीं होने के कारण वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार

नहीं होने के कारण वाद खारिज किया गया जो राजस्थान काश्तकारी कानून, 1955 के प्रावधानों के अनुकूल होकर पूर्णतया विधिसम्मत् है।

14– विद्वान अपीलीय न्यायालय ने वर्तमान अप्रार्थी सं0 1/अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10–10–2000 को अपील पेश की जो दिनांक 23–10–2000 को दर्ज रजिस्टर की गयी। अपीलांट ने अपील के साथ ही दिनांक 10–10–2000 को आवेदन पत्र आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 सी0पी0सी0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन दावे में अनुतोष में दुरूस्ती करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने वादी ने निवेदन किया था परंतु दावा पुराना होने के कारण निर्णय करना है, कहकर अपीलार्थी के निवेदन को स्वीकार नहीं किया। प्रार्थी अपने दावे में अनुतोष चाहे गये मद –क– के अंत में इस प्रकार संशोधन करवाना चाहता है– वादी को विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया जावें। इस संशोधन करने से दावे की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आयेगा। दावा पेश करते समय यह टाईप होने से सहवन से रह गया था। अतः दरख्वास्त में हलफनामा पेश कर अर्ज है कि उक्त संशोधन को स्वीकार किया जाकर दावा के अनुतोष चाहे गए मद –क– के अन्त में वादी को विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया जावें। संशोधन करने की स्वीकृति की जावें।

15– विद्वान अपीलीय न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 28–02–2005 को निर्णय पारित किया कि वादी/अपीलांट का वाद स्वीकार किया जाता है और वादपत्र में चाहा गया अनुतोष अनुसार वादी अपीलांट मनफूलराम को गांव बगीचा के प0नं0 233/333 के मु0नं0 के कि0नं0 1 से 25 की कुल 22.10 बीघा बारानी भूमि का खातेदार घोषित करके उसके पक्ष में इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उक्त भूमि में प्रतिवादीगण/रेस्पो0, वादी/अपीलांट के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें। उक्त आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है और उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर का आदेश एवं डिक्री दिनांक 26–09–2000 निरस्त किया जाता है।

16– विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 व 151 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया था

कि वादी अपने दावा में चाहे गये अनुतोष की मद (क) के अंत में यह संशोधन कराना चाहता है कि ''**वादी को वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किया जावें।**'' इस प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत होने से पूर्व ही दिनांक 26–09–2000 को वाद निर्णित किया जा चुका था। इसलिए इस प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। वादी/अपीलांट ने अपील के साथ यह प्रार्थना पत्र पुनः प्रस्तुत किया है और इस प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुतोष चाहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा इस प्रार्थना पत्र का न तो कोई उत्तर दिया है और न ही इसका विरोध किया है। इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये वाद में चाहा अनुतोष के मद क में प्रार्थना पत्र के अनुसार संशोधन किया जाता है और शब्द जोड़ा जाता है कि **''वादी को वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किया जावें।''**

17– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय की पत्रावली की फर्द अहकाम में अपीलांट द्वारा पेश आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के आवेदन पत्र का अंकन ही नहीं है, सीधे निर्णय में ही विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अंकन किया गया है जिससे यह ज्ञात नहीं होता कि वास्तव में वर्तमान अपीलांट/प्रत्यर्थीगण को आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 आवेदन पत्र का जवाब देने का अवसर मिला हो। जबकि विद्वान अपीलीय न्यायालय को विधि के प्रावधानों के अनुसार पहले आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 की दरख्वास्त को निर्णित करना चाहिए था ताकि दरख्वास्त होने पर वर्तमान अपीलांट/प्रत्यर्थीगण को रिबटल में अपना पक्ष व जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हो सकता। प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 का आवेदन पत्र स्वीकार कर मूल दावे के मूलभूल ढ़ांचे को परिवर्तित कर दिया गया जिसमें प्रतिवादी/वर्तमान अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं मिला।

18– अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा अपील में प्रस्तुत आधार उचित प्रतीत होते हैं।

जिससे स्पष्ट है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित नहीं किया गया है जो काबिले खारिजी है।

19– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–02–2005 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सर्वप्रथम वर्तमान अप्रार्थी/वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के आवेदन पत्र पर उभयपक्ष को सुनकर निर्णय पारित करें। तत्पश्चात् मूल अपील पर उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर अंतिम विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

20– उभयपक्ष न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर में दिनांक 21–06–2023 को उपस्थित हो।

21– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(रामनिवास जाट)
सदस्य